



डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/192/12

दिनांक: 22/5/12

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
श्री सिद्धिविनायक डिग्री कॉलेज,
रायभा, अछनेरा
आगरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:सम्ब0-112/सत्तर-2-2011-2(36)/2010 लखनऊ दिनांक 07 जुलाई, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए बी0एड0 पाठ्यक्रम में (100 सीट) में शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तथा परीक्षाफल घोषित हो जाने पर सत्र 2011-12 से सम्बद्धता को (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुये उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है :-

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2011 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमान्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किरी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (4) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
उपकुलसचिव (सम्बद्धन)
22/5/12 21/5/12

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
- 2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 3- निजी सचिव कुलपति।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूजंज, आगरा।
- 5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)